

ચાલપ ઉપજિલા વિસ્તાર ક્રમાંક ૧૪
 ક્રમાંક ૫૭ ચારા ૧૪૩ જીવિતની
 જીવાન રજુ કરો દોશારી બનો રાખણ
 સોજા હવે કોઈ બનો નહીં તથા જીવાન

નાના નાના ૧૨-૯-૧૧

न्यायालय उप जिलाधिकारी फूलपुर, इलाहाबाद।

वाद सं० ५६ २०११

अपवास एकुक्षेण सोचाइटी 1/4 लाल राम नारायण शेंग थैक शेंग दलहारा

• 200

गांधरवासा द्वारा प्रवान गीजा हवीचपर प्रभावता देखी चालवीन आवाज आवाज

मौजा छवीनपुर परगना झारी तहसील पुलांड ज़िला-पट्टम

अन्तर्राष्ट्रीय धन्या 143 ज्ञानविद्यालय

500

प्रस्तुत वाद आपनाल एन्युकेशन सोसाइटी 1/4 लास लाम नारायण शेर्ड देक चेत, दृश्यालयम् द्वाय अस्त्रा भी आपनाल पुत्र सह लक्ष्मण दास अव्याल निवासी 1/4 गेक राय इलालालाद की दासा योगित किंवा याम शीर अनुकूल मिहर गया कि घान हल्लिपुर, परगना झुंझु रियत आसाकी राट 52 रख्या 09710407 को यादी संकलणीय चूमिहर कालिक बालीक 21 बादखस्त मुनि वाली ने रख्युन के नाम रो कम किंवा ने क्या योगे नर लालाकी बनालन रख्युन नर नियमा नर कु दु नियादित गुरु गे कृषि वाली नहीं हो रखा है। इसलिए बादखस्त मुनि को अनुकूल धोमिहर किंवा जाएः परामार्शी 200 रहिलीलाल फूलपुर वारे गेली गयी। यह लीलाल फूलपुर की जात्य आस्था यथ नहीं नवाका के बाब्य उत्तमा है।

किंतु जाति अधिकारी काहीलालादर खुल्लमुख वाले आदम्या का निश्चय अवश्यकन किया। जाति अधिकारी काहीलालादर खुल्लमुख ने अपनी जात आदम्या में अपमान करना का दिल दावाप्रति भूमि से 52 लाखों करोड़प्रति लिखा प्राप्त छोड़ाकिया, जहाँ-में दूसी खुल्लमुख, खुल्लानामद का आगेलेलीय पर्याप्त किया। वार्डी का नाम वादपास भूमि पर वाचावातेंवाले के काम के अधिकार है। वादपास भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है, वरन् वादपास भूमि पर वाचावातेंवाले का निश्चय किया जा सकता है, जिसका नाम वाक्यालिक अवश्यक दर्ज किया जाए।

जांग अधिकारी लोकलिलाल पुलिस की जाव गाड़ी एवं पत्रकाली पर चालना तो 1417 लोकान्तर 1422 पत्रकी के उद्देश्य स्थानीय का गी अनुसीरिण किया। जाव अधिकारी लोकलिलाल पुलिस की जाव गाड़ी एवं पत्रकाली पर चालना स्थानीय के अवधीन हो सकत है कि वादपत्र भूमि 50-52 रुपये 0.07 रुपये प्रति मेरी रुपये 0.06 रुपये प्रति रुपये के द्वारा वादपत्रीयाल का निरापद किया जा सकत है। वादपत्र भूमि एवं कृषि क्षेत्र नहीं देखा जाए ऐसी बिधि के अनुसार वादपत्र को अकृषिक ग्रन्ति घोषित किये जाने में कठोर विधिक अवधारणा नहीं है। वादपत्र भूमि अकृषिक घोषित किये जाने में कठोर विधिक अवधारणा नहीं है।

31129

जातः आदेश कुआ कि ग्राम हनीबंपुर, परमना झुसी, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद स्थित आरक्षी 52 रक्षा $0.6710\text{E}0$ भूमि में से रक्षा $0.6480\text{E}0$ भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। परवाना अमल दरासद जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दाखिल हो।

Gullion

(55-12444)

ପ୍ରକାଶକ ।

27-9-4
27-9-11

TRUE COP
8-21-11
Montgomery, AL, USA